न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 561 सन 2022

अनवान :–

1. राजपाल पुत्र बचनाराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गिरदावरी पत्नी बचनाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. सरवती पत्नी निकुराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री बचनाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री बचनाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
5. कान्ता पुत्री बचनाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
6. रामुर्ती पुत्र बचनाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
7. महेन्दसिह पुत्र बचनसिह जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 15/07/2022.

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 248/217 की कुल 14.4290हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 2783/14429 व प्रतिवादी संख्या 2 के 4429/14429 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज जीवनराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके दो पुत्रो निकुराम एवं बचानाराम के नाम से दर्ज हुई थी दोनो का ही देहान्त हो चुका है निकुराम एव बचनाराम के देहान्त होने के बाद भूमि उनकी पत्नीयों प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 अपने पति के देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के साथ निवास कर अपना जीवन यापन कर रही है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के साथ निवास कर रही है तथा वादी की माता की बहन है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 वादी की बहने एवं बचनाराम की पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

1 ता 7 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज/पति के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की उनहोने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 248/217 की कुल 14.4290हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 2783/14429 व प्रतिवादी संख्या 2 के 4429/14429 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज जीवनराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके दो पुत्रो निकुराम एवं बचानाराम के नाम से दर्ज हुई थी दोनो का ही देहान्त हो चुका है निकुराम एव बचनाराम के देहान्त होने के बाद भूमि उनकी पत्नीयों प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 अपने पति के देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के साथ निवास कर अपना जीवन यापन कर रही है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के साथ निवास कर रही है तथा वादी की माता की बहन है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 वादी की बहने एवं बचनाराम की पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 248/217 की कुल 14.4290हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 2783/14429 व प्रतिवादी संख्या 2 के 4429/14429 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 248/217 की कुल 14.4290हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 2783/14429 व प्रतिवादी संख्या 2 के 4429/14429 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजपाल पुत्र बचनाराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गिरदावरी पत्नी बचनाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. सरबती पत्नी निकुराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री बचनाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री बचनाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
5. कान्ता पुत्री बचनाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
6. रामुती पुत्र बचनाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
7. महेन्दरसिह पुत्र बचनसिह जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 561 सन 2022 निर्णय दिनांक– 15/01/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 248/217 की कुल 14.4290हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 2783/14429 व प्रतिवादी संख्या 2 के 4429/14429 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner